

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-25/2012

/कृ०, पटना, दिनांकमई, 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स गोदरेज कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लि०,
द्वारा मेसर्स० आर्यन एजेन्सी प्रा० लि०,
मौजा-मानपुर, बैरिया (महिन्द्रा ट्रेक्टर गोदाम के सामने),
सम्पतचक, पटना।

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या- 65 दिनांक 23.11.2012 वैद्यता तिथि
31.12.2014 के नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चालान, सहायक निदेशक (पौ० सं०) पटना द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन तथा अन्य संगत कागजातों पर सम्यक विचारोपरांत कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित घरेलु कीटनाशी उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता के आलोक में 31.12.2015 तक के लिए नवीकरण किया जा सकता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
1	D-trans Allethrin 0.1% W/W Mosquito Coils (12hrs)

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:-मेसर्स गोदरेज कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लि०, द्वारा मेसर्स० आर्यन एजेन्सी प्रा० लि०, मौजा-मानपुर, बैरिया (महिन्द्रा ट्रेक्टर गोदाम के सामने), सम्पतचक, पटना।

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

8-भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशियों का बिक्री भंडारण सर्वथा वर्जित है।

9-कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या-65 दिनांक 23.11.2012 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

2769

/कृ०, पटना, दिनांक 12 मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।